न्यायालय अनुमंडल पदाधिकारी, सिमडेगा

[redacted]---प्रपत्र सं० ६६५।
[redacted] सं० ५०८।

otice upload
13/02/2018

[बोर्ड के आदेश सं० ४११६ बी० ता० १२-८-११ में अनुमोदित]

[स्थायी रुप से दस्तावेज़]

संयुक्त मुख्य-पृष्ठ और पत्रावरण।

(बैंक निगम १२०) अधिनियम ... १९११)

SAR 10/2016-17

विधि ... विभाग

... वर्ष ... रजिस्टर सं० ...

श्री अलफोंस के रुकड़ा कोंगद ... प्रताप लोनवार
कुरडेगा ... बनाम ... कुरडेगा

CNT Act ... वर्ष ... के अधीन

... अभिलेखागार में प्राप्त होने की तारीख ...

क्रमांक सं०	कागज का वर्णन	किस तारीख को दाखिल किया गया	पन्नों की संख्या	...	... की संख्या	अभ्युक्ति
१	२	३	४	५	६	७
			11-3-2022 12/4/22 24/6/22 15/7/22 16-8-22 20/9/22 21-10-22	23-5-18 11-7-18 2-1-19 6-2-19 15-5-19 3-7-19 28-8-19 23-10-19 29-1-20 4-3-20 6-5-20 10/08/2020 2-06-2021 25/8/2021 13-11-2021 2/2/22	9-1-17 6-2-17 27-2-17 29-3-17 24-4-17 21-6-17 26-7-17 23-8-17 4-10-17 8-11-17 20-12-17 7-2-18 7-3-18 11-4-18 31-10-18	

Scanned with CamScanner

आदेश-पत्रक

(देखे नियम 129 अभिलेख हस्तक)

आदेश पत्रक--ता0.......................से ....तक
जिला सिमडेगा, संख्या SAR 10 /2016-17 अल्फोंस केरकेट्टा वगै0
केस का प्रकारः- बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969

वनाम

प्रताप छनवार

आदेश की कम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
	श्री अल्फोंस केरकेट्टा वगै0 मइकल केरकेट्टा पिता दा पिता स्व0 अलोलस केरकेट्टा वा आस्कार केरकेट्टा साकिन पिता स्व0 ओनारियुस केरकेट्टा परकला लाल टोली थाना कुरडेग जिला-सिमडेगा ने आवेदन-पत्र दिया है कि निम्नलिखित जमीन को नाजायज तरीके से विपक्षी प्रताप छनवार पिता स्व0 निरंजन छनवार साकिन- परकला बेल टोली थाना कुरडेग जिला-सिमडेगा ने कब्जा कर लिया है। इस जमीन को बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969 के अंतर्गत वापस दिलाने का अनुरोध करते हैं। ग्राम: परकला; खाता सं0-- 05; प्लॉट सं0 324; रकबा 0.11 एकड़ उभय पक्ष को सूचित करें। अभिलेख दिनांक 25-7-2016 को उपस्थापित करें। अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सिमडेगा।	28-9- 19-x-16 16-11-16 5-12-16 9-1-17

Scanned with CamScanner

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सिमडेगा।

वाद सं0–एस0ए0आर0 10/2016–17
दिनांक..........................

अलफोस केरकेट्टा वगै0
बनाम
प्रताप धनवार

आदेश

प्रस्तुत वाद अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969 अन्तर्गत भूमि वापसी वाद की कार्यवाही आवेदक अलफोस केरकेट्टा वो माइकल केरकेट्टा दोनों के पिता–स्व0 निकोलस केरकेट्टा वो ओस्कर केरकेट्टा, पिता–स्व0 ज्वाकिम केरकेट्टा, साकिन–परकला लालटोली, थाना–कुरडेग, जिला–सिमडेगा के आवेदन पर प्रारंभ किया गया। आवेदक ने लिखा है कि विपक्षी प्रताप धनवार, पिता–स्व0 निरंजन धनवार, साकिन–परकला बेलटोली, थाना–कुरडेग, जिला–सिमडेगा ने अवैध तरीके से उनकी रैयती भूमि पर कब्जा कर लिया हैं। जिसे बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969 के तहत् वापस दिलवाने का अनुरोध किया हैं। वाद सं0–10/2016–17 के अनुसार प्रश्नगत् भूमि की विवरणी निम्नवत हैं:–

मौजा	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा
परकला	05	324	0.11 एकड़

वाद की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए अंचल अधिकारी, कुरडेग को इस न्यायालय के पत्रांक 288/विधि, दिनांक 24.06.2016 एवं पत्रांक 338/विधि, दिनांक 28.07.2017 द्वारा उपर्युक्त अंकित भूमि से संबंधित प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचलाधिकारी, कुरडेग के पत्रांक–415(ii), दिनांक 17.08.2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि विवादित स्थल पर विपक्षी का तीन वर्षो से कब्जा है। उपरोक्त भूमि का एस्वेस्टस का मकान लगभग 0.01 एकड़ में बनाया गया है। पंजी–II के रैयत मारकुस खड़िया वो पौलुस खड़िया वो जोसेफ खड़िया वो विक्टोर खड़िया वल्द गोमहा खड़िया है। अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उभय पक्षों को न्यायालय में संबंधित वाद की सुनवाई हेतु उपस्थित होने के लिए आदेशित किया जाता रहा है। दिनांक 29.01.2020 से अबतक उभय पक्षों के द्वारा अधिवक्ताओं के माध्यम से हाजरी पड़ी और ना ही उभय पक्ष व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में सशरीर उपस्थित हो सके। ऐसा प्रतीत होता है कि उभय पक्षों को बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969 के वाद की सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से अभिरूचि नहीं हैं। इनकी मनसा शायद न्यायालय के समय को बर्बाद करने का हैं। ऐसे स्थिति में वाद सं0–10/2016–17 को संचिकास्त किया जा सकता हैं। फिर भी यदि आवेदक की इच्छा हो तो संबंधित वाद को न्यायालय में पुनः सुनवाई हेतु आवेदन पत्र समर्पित करते हुए अनुरोध कर सकते हैं।

लेखापित एवं संशोधित।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
सिमडेगा।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
सिमडेगा।

Digitally signed by MAHENDRA KUMAR
Date: 2022.10.13 18:01:08 +05:30
Location: 192.168.202.80

Scanned with CamScanner